

# अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म०प्र०)

संभवक/अकादमिक/अ०म०/२०२१/१०५३

रीवा दिनांक ५.८.२१


## अधिसूचना

आदेशानुसार मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम १९७३ की धारा २८ के अन्तर्गत जीवनविज्ञान संकाय अन्तर्गत पर्यावरण जीव विज्ञान के अध्ययन मण्डल का गठन निम्नलिखित रूप से किया जाता है। अधिनियम की धारा २८(४) के अन्तर्गत अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल की कार्यवाही इस अधिसूचना प्रसारण दिनांक से तीन वर्ष की होगी -

## पर्यावरण जीव विज्ञान अध्ययन मण्डल


अधिनियम	२८(२) एक	१	प्रो० आर०एम० मिश्र आचार्य एवं विभागाध्यक्ष, पर्यावरण जीव विज्ञान, अ०प्र० सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म०प्र०)
	२८(२) दो	१ २	रिक्त रिक्त
	२८(२) तीन	१	रिक्त
	२८(२) चार	१ २	रिक्त रिक्त
	२८(२) पाँच	१ २	डॉ० रश्मि अर्नाल्ड, सहायक प्राध्यापक, वनस्पतिशास्त्र शास० कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रीवा (म०प्र०) प्रो० हेमा सिंह, आचार्य, वनस्पतिशास्त्र विभाग, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी (उ०प्र०)

अधिनियम २८(३) के अन्तर्गत प्रो० आर०एम० मिश्र को पर्यावरण जीव विज्ञान अध्ययन मण्डल का अध्यक्ष नाम निर्देशित किया जाता है।

  
कुलसचिव 5.8.21

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु -

- १ कुलाधिपति के प्रमुख सचिव, राजभवन भोपाल (म०प्र०)
- २ आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन, सतपुड़ा भवन, भोपाल (म०प्र०)
- ३ अध्ययन मण्डल के समस्त सदस्यगण।
- ४ संबन्धित महाविद्यालय के प्राचार्य।
- ५ संकायाध्यक्ष, जीवनविज्ञान संकाय।
- ६ कुलसचिव, मध्यप्रदेश के समस्त विश्वविद्यालय।
- ७ निर्देशक, मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमिक रविन्द्रनाथ ठाकुर मार्ग, भोपाल (म०प्र०)
- ८ कुलपति जी के सचिव/कुलसचिव के निज सहायक

  
सहायक कुलसचिव (अकादमिक)